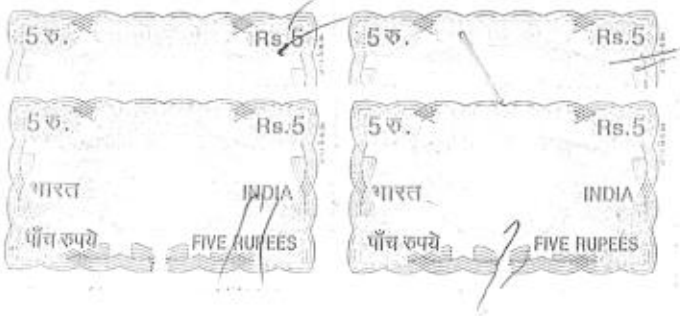

5 रु. Rs.5 5 रु. Rs.5
5 रु. Rs.5 5 रु. Rs.5
भारत INDIA भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

136

माननीय न्यायालय रेवेन्यू बोर्ड, ग्वालियर म.प्र. केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक – /पुनरीक्षण याचिका/17

PBR/निगरानी/शाजापुर/स्टांप अधि/2017/4848 राजेश पिता शांतिलाल जी सोनी, आयु 43 वर्ष व्यवसाय स्वर्णकारी, निवासी शुजालपुर सिटी तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र.

–– आवेदक

आज अभिभाषक श्री ... द्वारा प्रस्तुत दिनांक 02:11:2017

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, शाजापुर
2. श्रीमती मीना पति ओमप्रकाश सोनी, आयु 38 वर्ष व्यवसाय गृहकार्य, निवासी शुजालपुर सिटी तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र.

–– अनावेदकगण

अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला शाजापुर के प्र.क्र. 217/बी–103 (धारा 33–40)/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 16–10–2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत स्टाम्प अधिनियम

22/12/17

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर निम्नलिखित पुनरीक्षण याचिका सादर प्रस्तुत है –

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, आवेदक के द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 से उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक भवन स्थित ओसवाल सेरी शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर में स्थित है, को क्रय करने का एक अनुबंध दिनांक 10–03–2013 को निष्पादित किया था। अनुबंधानुसार आवेदक द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को अनुबंध के पालन में आंशिक विक्रय मूल्य राशि दो लाख रूपये का भुगतान अनुबंध के निष्पादन के समय किया गया था तथा शेष राशि का भुगतान एक माह पश्चात करना तथा राशि भुगतान करने पर कब्जा दिया जाना एवं विक्रय पत्र का निष्पादन किया जाना तय किया गया था अर्थात विक्रय पत्र के निष्पादन के पश्चात ही कब्जा दिये जाने हेतु उभय पक्ष सहमत हुए थे। उक्त अनुबंध पत्र के पालन में आवेदक सदैव शेष विक्रय मूल्य राशि अदा करने हेतु तत्पर रहा किन्तु प्रत्यर्थी क्रमांक 2

...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक – निगरानी / 4848 / 2017 / पीबीआर / शाजापुर / स्टा.अधि.

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्ष
18-04-2019	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ । अवलोकन किया गया । यह पुनरीक्षण कलेक्टर आफ स्टाम्पस् जिला शाजापुर व्दारा प्रकरण कमांक 217 बी–103 / 2017–18 में पारित आदेश 16–10–17 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हुआ है। २/ म०प्र०शासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय भोपाल व्दारा म०प्र० राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18 सितम्बर 2018 में प्रकाशित अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनयम 1899 की धारा 40 की उपधारा (1) के खंड (घ) में किये गये सॅशोधन के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर आफ स्टाम्पस् व्दारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील राजस्व आयुक्त को होगी । तद्नुसार प्रकरण आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल को सुनवाई हेतु अंतरित किया जाता है। पक्षकार आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के न्यायालय में दिनांक 2–5–2019 को उपस्थित रहें। सदस्य आयुक्त, भोपाल संभाग	